संलग्न – 2

माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. ....

(माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम) ....

(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ....

(संस्था का नाम) ....

में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढा और पूर्णतः समझा ।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ ।

मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूं कि –

(अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका –3 के अंतर्गत आता है ।

(ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका –3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो ।

5. मैं सत्य निष्ठा से बचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है ।

6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया ।

घोषणा की दिनांक .... माह .... वर्ष .... ।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

फोन/मोबाईल नंबर ....

सत्यापन

वचन पत्र

(महाविद्यालय विवरण पत्रिका की कंडिका 17.3 के संदर्भ में)

मैं ....

पिता/माता.. कक्षा ....

घोषणा करता/करती हूं कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती हूं तो मैं दंड का भी भागी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा ....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएं ज्ञात है यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी भी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप – यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाये गये तो छात्र के विरुद्ध अनुशांसनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।